

11/1/2024

अपीलाबन्धित अनुपस्थित। अपीलानुबन्धित  
 को जारी हुक्म जोरिद बाउ तामील प्राप्त  
 प्राप्त हो चुका है, लेकिन अपीलानुबन्धित  
 वापस तामील अनुपस्थित है प्रत्यक्ष के  
 पूर्ववर्ती न्यायालय से दस्तावेज होने पर  
 दूर की एक वर्ष से अधिक समय हो चुका  
 है। पण्डु अपीलानुबन्धित काफ़ रिजिस्ट्रार तक  
 न्यायालय के समय धारित नहीं आर है।  
 अतः यह प्रतीत होता है कि अपीलानुबन्धित  
 की प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में कोई कसि प्रेष  
 नहीं रह गारि है अतः अपीलानुबन्धित  
 की काफ़ एजरी एवं अफ़ फैचिंग में इनी  
 स्तर पर धारित की जाती है अधिनियम  
 न्यायालय का मूल अधिनियम लीयाला  
 जारि। फगवली के हल में शुरू होकर  
 शरिबल एगार है।



जिला कलकट्टर  
 अनूपगढ़